कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) कबीरधाम

क्रमांक/1857/आजाक/पो.मै.ऑन.छात्र./2024–25 कवीरधाम दिनांक 10/09/2024

प्रति,

सर्व प्राचार्य
शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय,
....
विकासखण्ड–कवर्धा/बोडला/पंडरिया/स.लोहारा
जिला–कबीरधाम(छ.ग.)

विषय :– वर्ष 2024–25 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के लिए ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति(कक्षा 12वीं से उच्चतर) हेतु ऑनलाईन पंजीयन की सूचना।

संदर्भ :– आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इंद्रावती भवन अटल नगर रायपुर का पृ.क्रमांक /ऑ.ला.पो.मै.छा./183/2024–25/5882 नवा रायपुर दिनांक 05.09.2024

––––00––––

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रानुसार वर्ष 2024–25 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत आपके महाविद्यालय में अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही **http://postmatric-scholarship.cg.nic.in/** वेबसाईट पर ऑनलाईन प्रारंभ की गई है।

जिसके अंतर्गत विभाग द्वारा ऑनलाईन आवेदन/प्रस्ताव/स्वीकृति वर्ष 2024–25 हेतु निम्नानुसार तिथि निर्धारित की जा रही है:–

क्र.	प्रकिया	अंतिम तिथि
1	2	3
1	विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन हेतु (नवीन/नवीनीकरण)	दिनांक 09.09.2024 से 30.10.2024 तक
2	Draft Proposal Lock करने हेतु	दिनांक 16.09.2024 से 14.11.2024 तक
3	Sanction Order Lock करने हेतु	दिनांक 16.09.2024 से 21.11.2024 तक

कृपया निर्धारित तिथियों के पश्चात् शिक्षा सत्र 2024–25 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑनलाईन आवेदन हेतु पोर्टल बंद कर दिया जावेगा एवं Draft Proposal Lock अथवा Sanction Order Lock करने का अवसर भी प्रदान नहीं किये जाने का निर्देश प्राप्त है। प्राप्त निर्देशानुसार उक्त तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नही करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के पात्रता रखने वाले विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित होने की स्थिति में संस्था प्रमुख जिम्मेदार होंगे।

नोट:–

1- PFMS के माध्यम से आधार आधारित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। अतः सभी विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन करते समय ध्यान रखे कि उनका **बचत खाता एक्टिव हो एवं आधार सीडेड बैक खाता नम्बर की ही प्रविष्टि** करना सुनिश्चित करें।

2- वर्ष 2024–25 से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से **OTR की प्रविष्टि ऑनलाईन** आवेदन करते समय की जानी है। **OTR की प्रविष्टि** के संबंध में संस्थाओं द्वारा विद्यार्थियो को प्रकिया की जानकारी प्रदाय की जावेगी।

3- वर्ष 2024–25 से संस्थाओं को जिला नोडल द्वारा प्रदाय प्रशिक्षण अनुसार **Geo-Tagging** किया जाना अनिवार्य है। जिन संस्थाओं द्वारा **Geo-Tagging** नहीं किया जावेगा, उक्त संस्था के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदाय नहीं की जावेगी।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास कबीरधाम

पृ0क्रमांक/1858/आजाक/पो.मै.ऑन.छात्र./2024–25 कबीरधाम दिनांक 10/09/2024

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला कबीरधाम की ओर सादर सूचनार्थ।
3. सहायक संचालक, जनसंपर्क कबीरधाम की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि कृपया उपरोक्तानुसार जानकारी (पोर्टल प्रारंभ एवं अंतिम तिथि) दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में लगातार तीन दिवस निःशुल्क प्रकाशन कराने का कष्ट करेंगे।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास कबीरधाम